

## इशरत जहां चार्ज शीट

अरुण जेटली

राज्य सभा में विपक्ष के नेता

4 जून, 2013 को मैंने 'क्या सीबीआई को आईबी की कलई' खोलनी चाहिए इस विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए विस्तृत टिप्पणी की थी। भारत की आंतरिक सुरक्षा को सीमा पार से जारी गतिविधियों और स्थानीय मॉड्यूल से अनेक चुनौतियां मिल रही हैं। जिहादी आतंक से लेकर माओवादी विद्रोही गतिविधियों तक हमें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में खुफिया और जवाबी विद्रोही गतिविधियां प्रमुख हैं। इनमें सूचनाओं को एकत्र करना और उनका प्रसार, उन्हें बढ़ने से रोकना, विद्रोही मॉड्यूल में घुसपैठ, मुखबिरों को वित्तीय प्रलोभन और ऐसे मॉड्यूल को नष्ट करना शामिल है। हमारी खुफिया एजेंसियों को अत्यन्त गोपनीयता के साथ इन कार्यों को करना होगा। गोपनीय कार्रवाइयां की जाती हैं लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। इनमें से बहुत से कार्य वैधानिक कानून की सहायता के बिना किए जाते हैं, क्योंकि भारत में खुफिया एजेंसियां सरकार की आंतरिक प्रक्रियाओं के आधार पर काम करती हैं। ऐसा बड़े सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित के कारण होता है। उम्मीद है कि लोकतंत्र के परिपक्व होने के साथ-साथ इन कार्यों को कानून के ढांचे के भीतर लाया जा सकता है और इसके बाद सीमित संसदीय जांच का विषय होंगे।

खुफिया एजेंसियों को आतंकवादी मॉड्यूल की प्रस्तावित गतिविधि के बारे में जानकारी मिली, जिसका इशरत जहां हिस्सा थी। इस सूचना को परिष्कृत किया गया और उसका प्रसार किया गया। मॉड्यूल नष्ट कर दिया गया और उसकी कार्रवाई को विफल कर दिया गया। इशरत लश्कर-ए-तैय्यबा (एलईटी) का हिस्सा थी, यह जमात-उद-दावा द्वारा दिए गए सबूत से पता लगता है जिसमें लाहौर से *गजवा टाइम्स* के जरिये उसने दावा किया था कि उसकी कार्यकर्ता मारी जा चुकी हैं। साथ ही एफबीआई और एनआईए द्वारा पूछताछ में डेविड हेडली ने कार्रवाई की बात स्वीकार की थी। इस तथ्य के बारे में और जानकारी मांगने पर भारत में अमरीकी दूतावास के कानूनी अताशे ने गुप्तचर ब्यूरो के लिए एक दस्तावेज जारी किया था।

जब इशरत जहां और उसके साथियों की कथित मुठभेड़ हुई, यूपीए-1 सत्ता में थी। उसके माता-पिता द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में, केन्द्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इशरत एलईटी की गुप्तचर थी और 15 जून, 2004 की कथित मुठभेड़ सही थी। यह उस समय की बात है जब शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। गृह मंत्रालय में बदलाव के बाद सरकार की राय भी बदल गई। नये गृह मंत्री के रूप में श्री पी. चिदम्बरम की देखरेख में गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में इस मुठभेड़ से अपना पल्ला झाड़ने का फैसला किया। अब उसने इस समूची कार्रवाई की जांच के लिए याचिकाकर्ता के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है। राजनैतिक संस्थाओं को उम्मीद थी चूंकि उसके अन्य प्रयास विफल हो चुके हैं, हो सकता है कि इस मामले की जांच से गुजरात सरकार के राजनैतिक नेताओं को फंसाया जा सके।

अदालत द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच के बाद इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच से जुड़े अधिकारियों में एक व्यक्ति का चयन इशरत के माता-पिता ने किया था जो याचिकाकर्ता थे। एसआईटी में तीन लोग शामिल थे, इनमें से एक याचिकाकर्ता ने मनोनीत किया था। एफआईआर में जिन पुलिसवालों का नाम था उनमें से गुजरात पुलिस के अनेक पुलिसकर्मियों को

गिरफ्तार किया जा चुका था। उनके साथ समझौता बातचीत हो चुकी थी और राजनैतिक सौदेबाजी होनी थी। 90 दिन के भीतर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण वे जमानत पर छूट चुके थे। जिन लोगों ने गवाह बनने का फैसला किया उनसे वादा कर दिया गया कि उनका नाम चार्जशीट से हटा दिया जाएगा जबकि उनमें से कुछ उस समय मौजूद थे जब यह घटना हुई। उनके अपने बयान उन्हें फंसाते हैं और वह न तो आरोपी हैं और न ही मुखबिर, वे सिर्फ गवाह थे। आरोपी के रूप में पहली और दूसरी चार्जशीट से उनके नाम हटा दिए गए थे। ऐसी प्रक्रिया कानून में देखने को नहीं मिलती। इन लोगों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत अहमदाबाद में नहीं बल्कि मुंबई की अदालत में दर्ज किए गए। किसी सह आरोपी के खिलाफ एक आरोपी गवाह नहीं बन सकता। वह केवल मुखबिर हो सकता है। गोलीबारी के दौरान जो लोग मौजूद थे उनके नाम आरोपियों की सूची से हटा दिए गए ताकि वे उन अन्य लोगों को फंसा सकें जो गोलीबारी के दौरान मौजूद भी नहीं थे।

गुजरात के राजनैतिक नेताओं को फंसाने के लिए एक कमजोर प्रयास किया गया। नाराजगी अब आईबी की तरफ बढ़ गई है। जिन लोगों की सबूत इकट्ठा करने, मॉड्यूल को खत्म करने, आरोपियों से पूछताछ की जिम्मेदारी थी उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। आतंकवादी के परिचय पत्र को खत्म करने की कोशिश की गई। दूसरी चार्जशीट अब अदालत में पेश की गई हैं।

कथित मुठभेड़ के समय यूपीए-1 सत्ता में थी। स्पष्ट रूप से गुजरात के राजनैतिक नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो की गुप्त कार्रवाई ने मामले को दंडात्मक कानून जांच का विषय बना दिया। आईबी की सूचना का स्रोत, सूचना की सच्चाई, सूचना का प्रसार, मॉड्यूल को नष्ट करने का तरीका, पीड़ितों से पूछताछ, मॉड्यूल को नष्ट करने के लिए सैन्य संचालन सहायता दंडात्मक कानून के मुकदमे का विषय होगा। 2009 के गृह मंत्री ने नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए इस काम को हाथ में लिया। उन्होंने अंततः आईबी को फंसा दिया, यूपीए सरकार की एजेंसी जिस पर यूपीए के कार्यकाल के दौरान फर्जी मुठभेड़ कराने का आरोप लगा। मुठभेड़ की प्रकृति के बारे में योग्य अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों और उनकी क्षमता को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। 4 जून 2013 को अपने लेख में मैंने लिखा था “ केवल पाकिस्तान और एलईटी स्पष्ट विफलता के बाद सफलता हासिल कर सकते हैं। दिल्ली के अदूरदर्शी राजनैतिक प्रशासन को संस्थानों को नुकसान पहुंचाने के अर्थ को नहीं समझा। गुजरात सरकार को सताओ बेशक इसके लिए भारत की सुरक्षा प्रणाली को नष्ट करना पड़े- कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य स्पष्ट है।”